न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 401/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/307

अनवान

1. श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा निवासी खेरोदा हाल निवासी सालेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती अणछाईबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा हाल निवासी ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

..........वादीगण

बनाम्

1. 1. श्री फूलचनद उर्फ फुलिया के बजाय–

1/1 मु.जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2. श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3. श्रीमती कंचनबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा हाल निवासी नवाणियाँ तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

4. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी/उपपंजीयक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

5. श्रीमती सोहनीबाई पत्नि श्री भंवरलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

6. श्रीमती भूरीबाई पत्नि श्री चुन्नीलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

7. श्री ललीत पुत्र स्व. श्री फूलचन्द जाति जणवा नाबालिग सरक्षक माता श्रीमती जालकी बाई पत्नि स्व. श्री फुलचनद जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री कैलाश चन्द्र खारिवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.03.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्यइस प्रकार है कि मौजा खेरोदा पटवार मण्डल खेरोदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या 320 की आराजी संख्या 283, 294, 302, 403, 922, 926, 1163, 1193, 1194, 1198 कुल किता 10 रकबा 11 बिघा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या एक श्री फुलीया पिता हीरा जणवा सा. देह के नाम दर्ज है, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या 430 की आराजी संख्या 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202 कुल किता 6 रकबा 16 बिघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या एक फुलीया पिता हीरा जणवा सा. देह [illegible] 1/2 हिस्से से दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्सा अन्य खातेदार के नाम दर्ज है, [illegible] शिष्ट [illegible] की खाता संख्या 334 की आराजी संख्या 1168 रकबा 1[illegible] बिस्वा भूमि राजस्व अ[illegible] में प्रतिवादी संख्या एक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

नाम पर 1/3 हिस्से से दर्ज है शेष 2/3 हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम पर दर्ज है, परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या 321 की आराजी संख्या 238 रकबा 5 बिघा 14 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर 1/9 हिस्से से दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम पर दर्ज हैं, परिशिष्ट (ड) की खाता संख्या 307 रकबा 2 बिघा 4 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर 1/9 हिस्से से दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य खातेदारो के नाम पर दर्ज हैं, परिशिष्ट (च) की खाता संख्या 322 की आराजी संख्या 286, 920, 921, 1197 किता 04 रकबा 06 बिघा 14 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या एक फुलीया पिता हीरा जणवा सा. देह के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है तथा शेष 2/3 हिस्सा अन्य खातेदार के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सगी बहने हौकर एक ही खानदान के हौकर प्रतिवादी संख्या एक की संतान है। हमारे दादा जी स्व. हीरा जी के हमारे पिता श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया जी हुये। फुलचन्द जी के हम चार लड़कीया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हैं हमारे पिता जी के कोई पुरूष संन्तान नहीं है। हमारे दादा जी स्व. श्री हीरा जी के निधन के बाद हम वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बराबर भाग के उत्तराधिकारी होकर वाद पत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित समस्त जायदाद पर संयुक्त रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहें। उक्त वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि में स्व. हीरा जी की मृत्यु के बाद से भूमि हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की मौरूसी अविभाजित पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप काबिज हो संयुक्त पैदावार लेते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात में स्व. हीरा जी के बाद स्व. श्री हीरा जी के हिस्से की जायदाद में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा, हक, अधिकार एवं आधिपत्य है।

3. यह कि राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम पर हिस्सा दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर ही दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने मिल कर प्रतिवादी संख्या एक से दुरभी संन्धी कर अपने पक्ष में कर रखा है तथा वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात प्रतिवादी संख्या एक के नाम होने से प्रतिवादी संख्या एक हम वादीगण को हमारे हिस्से से वंचित करके वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित समस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में हक त्याग, बेह बक्षीस आदि तरिको से हस्तान्तरित करने की धमकी दे रहे है। जबकि उक्त समस्त भूमि हमारे दादाजी स्व. हीरा जी के निधन के बाद प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर दर्ज भले ही हो गई हो परन्तु वास्तव में प्रतिवादी संख्या एक का उक्त आराजीयात में 1/5 हिस्से से ज्यादा हिस्सा हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। उक्त भूमि हमारी मौरूसी आराजी हौकर उक्त आराजी में हम वादीगण प्रत्येक का जन्म से ही 1/5–1/5 हिस्सा हक अधिकार एवं आधिपत्य है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/5–1/5 खातेदार घोषित किये जाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम न. 1 में वर्णित भूमि खेरोदा में स्थित होकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम इस कलम में वर्णित अनुसार दर्ज होना स्वीकार हैं। कलम न. 2 में वर्णित सजरा अपुर्ण होने से स्वीकार नहीं तथा अन्य कथन भी मिथ्या बनावटी होने से स्वीकार नहीं। यह कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की मोरूसी अविभाजित पेत्रिक सम्पति है जो कथन मिथ्या बनावटी होने से स्वीकार नहीं। वाद पत्र की कलम न. 1 में वर्णित भूमि जो प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज है उसका खातेदार कब्जेदार प्रतिवादी सं. 1 है और प्रतिवादी स. 1 ने प्रतिवादी 2, 3 को इसकी जाईन्दा पुत्रीया है उनके पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र में वर्णित भूमि का दान किया। प्रति[illegible] खाते की भूमि को हर प्रकार से हस्तान्तारित करने एवं उपयोग उपभोग [illegible] का [illegible] अधिकार है साथ ही उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 4 राज्य [illegible] नगर को पक्षकार बनाया गया हैं लेकिन [illegible] प्रावधानों के [illegible] 60 दिवसीय चेतना पत्र नहीं दिया गया है जिससे वाद चलने [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कलम संख्या 1 के परिशिष्ट (क) में वर्णित भूमि में वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होना स्वीकार है जिसमें से आराजी न. 283, 294, 302, 403 कुल क्षेत्र 08 बिघा 04 विस्वा का 2/3 हिस्सा कर्ता फुलचन्द ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर दिया। वाद पत्र की कलम न. 1 परिशिष्ट (ख) में वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होना स्वीकार है लेकिन इन आराजीयात में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का और 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के परिवार का था, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने उनके नाम करा दी 1/6 हिस्सा इस परिशिष्ठ (ख) में वर्णित भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 शोभाबाई के पक्ष में अन्य स्वअर्जित आराजीयात के साथ-साथ इस परिशिष्ट में वर्णित आराजीयाम के 1/6 हिस्से का रजिस्टर्ड दान पत्र प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई के पक्ष में निष्पादित करा कब्जा सिपुर्द कर दिया। यहा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस परिशिष्ट में वर्णित आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की भूमि जो दान पत्र में लिखी वो भी स्वअर्जित थी। कलम न. 1 के परिशिष्ट (ग) में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है जो करीब 06 बिस्वा ही है परिशिष्ट (घ) में वर्णित आराजी न. 238 क्षैत्र. 05 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित है इसे भी प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई के पक्ष में दिनांक 11.06.2012 को रजिस्टर्ड दान पत्र में सम्मिलित की गई और कब्जा सिपुर्द कर दिया गया तथा श्रीमती जालीबाई पत्नि स्व. फूलचन्द जी जणवा के नाम 01 बिघा भूमि स्वअर्जित थी, उसे भी इसी दान पत्र में सम्मिलित करते हुए शोभाबाई के पक्ष में रजिस्टर्ड करवा दी और कब्जा सुपुर्द कर दिया। वाद पत्र की कलम न. 1 परिशिष्ट (ड) में वर्णित भूमि आराजी न. 307 रकबा 02 बिघा 04 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा दर्ज है जो करीब 05 बिस्वा ही है तथा परिशिष्ट (च) में वर्णित भूमि 06 बिघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि फूलचन्द की पुत्री कंचनबाई की शादी गांव रूण्डेडा में कराई, जिसके पति की मृत्यु हो गई, जो पांच वर्ष तक प्रतिवादी संख्या 1 के घर गांव खेरोदा में रही उसने माता पिता की सेवा की तथा खेती के कार्य में मदद की जिससे प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता खानदान होने से उसने अपने खाते कब्जे की भूमि मोजा खेरोदा की आराजी न. 283 क्षै. 02 बिघा 17 बिस्वा, आराजी न. 294 क्षै. 15 बिस्वा, आराजी न. 302 क्षै. 01 बिघा 06 बिस्वा, आराजी न. 403 रकबा 03 बिघा 06 बिस्वा कुल किता 4 कुल क्षै. 08 बिस्वा 04 बिस्वा में से 2/3 हिस्सा का रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 11.06.2012 को प्रतिवादी संख्या 3 कंचनबाई के पक्ष में निष्पादित करा कब्जा सुपुर्द कर दिया। शोभाबाई एवं कंचनबाई के पक्ष में निष्पादित किये दान पत्र हम पति पत्नि (फूलचन्द जी एवं जालीबाई) ने अपने अधिकार के तहत कानून के दायरे में दान पत्र निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द किया है। वादीगण शंकरीबाई एवं अणछाईबाई ने अन्य के बहकावे में आकर मिथ्या वाद पेश किया है।

6. यह कि कलम न. 2 का सजरा आधा अधूरा है जो स्वीकार नही है फूलचन्द जी की पत्नि श्रीमती जालकीबाई उर्फ जालीबाई प्रतिवादी संख्या 1/1 है और जवाब प्रस्तुतकर्ता फूलचन्द का पुत्र प्रतिवादी संख्या 7 है तथा इस कलम में यह कथन पूर्ण रूप से मिथ्या है कि हिराजी के निधन के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बराबर भाग के उत्तराधिकारी हो तथा यह भी स्वीकार नहीं कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित समस्त जायदाद पर संयुक्त रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काबिज हो व उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हो। यह भी स्वीकार नहीं कि कलम न. 1 में वर्णित भूमि मौरूसी अविभाजित पैतृक संपति है तथा यह भी स्वीकार नहीं है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से काबिज हो और संयक्त पैदावार लेते चले आ रहे हो। यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि वादग्रस्त जायदाद के ऊपर वर्णितानुसार अजतरफ फुलचन्द एवं जालीबाई बहक श्रीमती शोभाबाई रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 11.06.2012 दानकर्ता की स्वअर्जित संपति बाबत् किया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसका उल्लेख ऊपर कलम न. 1 में आ चुका है। इसी [illegible] दिनांक 11.06.2012 को दान पत्र अजतरफ फुलचन्द बहक बहैसियत कर्ता खानदान [illegible] के लिए कानून के दायरे में ऊपर कलम न. 1 में वर्णित आराजीयात दान पत्र निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि वक्त वाद दायरी फुलचन्द जी परिवार के मुखिया कर्ता खानदान थे और रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार थे जिसमें से ऊपर वर्णितानुसार दो दान पत्र श्रीमती शोभाबाई एवं श्रीमती कंचनबाई के पक्ष में निष्पादित करा रजिस्टर्ड कराये कब्जा सुपुर्द किया। इन आराजीयात पर कब्जा दानग्रहिता का दिनांक 11.06.2012 से निरन्तर निराबाध खुले तौर से बतौर खातेदार चला आ रहा है। श्री फुलचन्द जी का निधन छः वर्ष पहले हो गया जो निधन से पूर्व काफी अर्से तक गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे बीमारी के कागजात माननीय न्यायालय की पत्रावली में पेश है। अतः वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा काउन्टर वाद पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. पुराना खसरा न. 922, 926, 1163, 1193, 1194, 1198, किता 06 क्षै. 03 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी न. 283, 294, 302, 403 क्षै. 08 बीघा 04 बिस्वा का 1/3 हिस्सा तथा आराजी न. 1168 क्षै. 17 बिस्वा का 1/3 हिस्सा, आराजी न. 307 क्षै. 02 बीघा 04 बिस्वा का 1/9 हिस्सा एवं आराजी न. 286, 920, 921, 1197 किता 04 क्षै. 06 बीघा 14 बिस्वा का 1/3 हिस्सा इस काउन्टर क्लेम में वादग्रस्त है। यह भूमि पुराने राजस्व रेकर्ड में फूला उर्फ फूलचन्द जणवा पिता हिरा जणवा निवासी खेरोदा के नाम पर दर्ज है। काउन्टर क्लेम प्रस्तुतकर्ता ललित इनका गोद पुत्र है जो अवयस्क है और इसकी संरक्षक माता जालकीबाई स्व. फूलचन्द जी की पत्नि है काउन्टर क्लेम में वादग्रस्त है। उपरोक्त भूमि हम दोनों के आधिपत्य, कब्जे, काश्त, खातेदारी की है लेकिन राजस्व रेकर्ड में स्व. फूलचन्द जी का ही नाम चल रहा है, इसलिए इस भूमि को हमारे नाम खातेदारी हक से घोषित करा दर्ज कराया जाना न्यायोचित है। यह भी यहाँ लिख रहा हूँ कि मुझ जालीबाई (जालकीबाई) ने मेरी समस्त चल-अचल जायदाद अन्दर हल्का आबादी एवं बेरून हल्का आबादी मौजा खेरोदा बाबत् वसीयत पत्र भी श्री ललित गोद पुत्र स्व. श्री फूलचन्द जी जणवा के पक्ष में निष्पादित करा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया हैं। अतः अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 7 फूलाजी का गोद पुत्र नहीं है एवं न ही फूलाजी की पत्नि की संरक्षता में है। इस भूमि की खातेदारी हक से घोषणा प्रतिवादी संख्या 7 एवं जालीबाई के नाम पर किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। जालीबाई को उनके हक, हिस्से, अधिकार की चल-अचल जायदाद के अलावा किसी अन्य के हक हिस्से अधिकार कब्जे की जायदाद की वसीयत किसी के भी पक्ष में करने का अधिकार नहीं है एवं जालीबाई द्वारा उनके हक हिससे अधिकार की जायदाद के अलावा अन्य किसी जायदाद की कोई वसीयत की गई है तो वह कानूनन ही किसी भी तरह से मान्य नहीं है।

10. यह कि तथाकथित गोदनामा पुरी तरह से फर्जी, बनावटी, कूटरचित होकर प्रारम्भ तह अवैध एवं शुन्य प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 7 ललित प्रतिवादी संख्या 2 शोभाबाई का सगा पौत्र है। फूलचन्द उर्फ फूलियाजी की दोनों पुत्रियां प्रतिवादी शोभागाई, कंचनबाई व पत्नि जालीबाई मिल कर येन-केन प्रकारेण फूलचन्द उर्फ फूलियाजी की दोनों पुत्रियां वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की जायदाद से अवैध रूप से बेदखल कर वादीगण के हिस्से कब्जे जायदाद को हडप करना चाहती हैं। इसी बदनीयती के चलते वादीगण के विरूद्ध षड़यन्त्र रचते हुए प्रतिवादी शोभाबाई, कंचनबाई व जालीबाई ने मिल कर प्रतिवादी संख्या 7 ललित के नाम से आपराधिक तरीके से एवं विधि विरूद्ध तरीके से गोदनामा बनाया है जो पूरी तरह रो फर्जी बनावटी एवं कूटरचित होकर प्रारम्भत अवैध एवं शुन्य प्रभावी है। अतः काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी वादपत्र की क[illegible] क, ख, ग, घ, ङ, च, में वर्णित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] नाम पर 1/5-1/5 हिस्से अनुसार खातेदारी अधिका[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

.... जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादी संख्या 4 को चेतना पत्र नहीं देने से एवं धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से वाद चलने योग्य नहीं हैं।

......................जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3

3. आया प्रतिवादी संख्या 7 की और से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की कलम न. 1 में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रतिवादी संख्या 7 अपने नाम पर कराने की एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी स. 7

12. अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्लयू 1 श्रीमती अणछाई बाई पिता श्री फुलचन्द जणवा, पीडब्ल्यू 2 श्री श्यामलाल पिता श्री भंवरलाल जणवा, पीडब्ल्यू 3 श्री चुन्नीलाल पिता भेरा जी जणवा का प्रस्तुत किया गया। वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2012 की नकल प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2012 की बंदोबस्ती नकल प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत् 2012 की बंदोबस्ती नकल प्रदर्श–3, प्रदर्श 4 से लगायत प्रदर्श 16 तक सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट की खसरा की नकले हैं। प्रदर्श 17 से लगायत 26 तक बन्दोबस्ती जमाबंदी संवत् 1984 की नकले है। नकल जमाबन्दी संवत् 2050 से 53 प्रदर्श 27 से लगायात प्रदर्श 32 तक हैं।

13. अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्यवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्रीमती शोभाबाई पिता स्व. श्री फुलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्री किशनलाल, डीडब्ल्यू 2 श्री जितेन्द्र जणवा पिता किशनलाल, डीडब्ल्यू 3 श्री देवीलाल पिता शंकरलाल गर्ग, डीडब्ल्यू 4 श्री जयप्रकाश नंगारसी पिता ओम प्रकाश जी नंगारसी, डीडब्ल्यू 5 श्री मोहनलाल पिता शंकरलाल जाति जणवा का प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज साक्ष्य में बक्षीसनामा प्रदर्श A1 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A1A है। विक्रय पत्र प्रदर्श A2 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A2A है। विक्रय पत्र प्रदर्श A3 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श A3A है। दानपत्र प्रदर्श A4 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A4A है। दानपत्र प्रदर्श A5 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A5A है। गोदनामा प्रदर्श A6 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A6A है। आधार कार्ड प्रदर्श A7 है जो ललित जणवा का है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A7A है। जन आधार कार्ड जालकी बाई का प्रदर्श A8 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A8A है। स्कुल प्रमाण पत्र ललित जणवा का प्रदर्श A9 है। फुला जी जणवा के ईलाज के कागजात प्रदर्श A10 से प्रदर्श A42 तक प्रस्तुत किये है।

14. प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस पेश की तथा वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

15. प्रकरण मे अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण श्रीमती शंकरीबाई एवं श्रीमती अणछाबाई की ओर से प्रतिवादी श्री फूलचन्द, श्रीमती शोभा बाई, श्रीमती कंचनबाई एवं राजस्थान राज्य के विरूद्ध धारा 88, 188, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश हुआ जिसका सार यह है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा में स्थित वादपत्र के पेरा 1 परिशिष्ट (क) की खसरा न. 283, 294, 302, 403, 922, 926, 1163, 1193, 1194, 1198 कुल किता 10 कुल क्षैत्र 11 बीघा 12 बिस्वा जो प्रतिवादी श्री फूलचन्द के नाम पर दर्ज थी। परिशिष्ट (ख) आराजी न. 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202, किता 6 क्षै. 16 बीघा 13 बिस्वा जिसका 1/2 हिस्सा फूलचन्द के नाम दर्ज था। परिशिष्ट (ग) की आराजी न. 1168 क्षै. 17 बिस्वा का 1/3 हिस्सा जो फूलचन्द के नाम पर दर्ज था। परिशिष्ट (घ) आराजी न. 238 क्षै. 5 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी फूलचन्द के नाम दर्ज था। परिशिष्ट (ड) आराजी न. 307 क्षै. 2 बीघा 4 बिस्वा जिसका 1/9 हिस्सा प्रतिवादी फूलचन्द के नाम दर्ज था एवं परिशिष्ट (च) की आराजी 286, 920, 921, 1197, केता 4 क्षै. 6 बिघा 14 बिस्वा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी फूलचन्द उर्फ फूलिया के नाम पर दर्ज था। यह सब आराजीयात एवं हिस्सा वाद में वादग्रस्त है।

16. यह कि वाद पत्र के पैरा न. 2 में सजरा पेश किया ... फुलचन्द उर्फ फुलिया जी की पत्नि को इस सजरे में नही दर्शाया है। वाद पत्र के पैरा 3 में शंकरी बाई, शोभा बाई, प्रतिवादी फुलचन्द उर्फ फुलिया, अणछाई बाई कंचन बाई ... यक का वादग्रस्त आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

में 1/5–1/5 हिस्सा, हक अधिकार का कथन हैं। वाद पत्र की पेरा न. 4 के कथन आया कि वादग्रस्त आराजीयात भले ही प्रतिवादी संख्या फुलचन्द उर्फ फुलिया के नाम दर्ज है परन्तु यह भूमि फुलिया के पिता हीरा के निधन के बाद उनके नाम पर आई है लेकिन हम वादीगण का 1/5 –1/5 हिस्सा भूमि मौरूसी होने से हमारा है तथा वाद पत्र मे आगे कथन आया कि प्रतिवादी फुलचन्द वादीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करना चाहते है इसलिये वाद पेश करना आवश्यक हो गया हैं। वाद पत्र के लम्बित रहते प्रतिवादी संख्या 1 फुलचन्द जी की मृत्यु हो गई जिसमें उनके विधिक प्रतिनिधि वादीगण एवं प्रतिवादी 2, 3 के अलावा जो फुलचन्द जी की पत्नी श्रीमती जालीबाई है उसको प्रतिवादी 1/1 के रूप में संयोजित किया गया तथा परिशिष्ट (ख) में वर्णित भूमि किता 6 क्षेत्र. 16 बीघा 13 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जो फूलचन्द उर्फ फुलिया के नाम दर्ज था उसका 1/3–1/3 यानि कुलिया भूमि को 1/6–1/6 हिस्सा हो प्रतिवादी फुलचन्द ने अपने जीवनकाल में श्रीमती सोहनी बाई पत्नी भंवरलाल जणवा निवासी खेरोदा एवं श्रीमती भूरी बाई पत्नी श्री चुन्नीलाल जणवा निवासी खेरोदा को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर रख था लेकिन विक्रय पत्र का पंजीयन उस समय नहीं कराया जो वाद के दोरान कराया और इन क्रेतागणों को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के रूप में जोडा गया तथा इस परिशिष्ट (ख) की आराजीयात् में फुलचन्द के नाम शेष 1/6 हिस्सा रहा उसे जरिये दानपत्र श्रीमती शोभादेवी के पक्ष में दान दिया जो प्रदर्श ए–4 है, परिशिष्ट (ख) की आराजीयात प्रतिवादी फुलचन्द की स्वअर्जित भूमि हैं जिस बाबत् दस्तावेज प्रदर्श ए–1 हैं। वादपत्र की कलम न. 1 परिशिष्ट (घ) में वर्णित आराजी न. 238 क्षै. 5 बीघा 14 बिस्वा का आधा हिस्सा प्रतिवादी फुलचन्द ने जरिये विक्रय पत्र क्रय किया जो उनकी स्वअर्जित है उसके बाबत् दस्तावेज प्रदर्श ए–3 हैं यह भूमि भी फुलचन्द द्वारा शोभादेवी को दान में दी गई हैं। यहां यह और स्पष्ट किया जा रहा कि दानपत्र में अन्य कृषि भूमि एवं आबादी की तलिया है जो इस वाद में वादग्रस्त नहीं हैं।

17. यह कि प्रतिवादी संख्या 7 का गोदपत्र प्रदर्श ए–6 है. इस गोदनाम में श्रीमती जालकी बाई प्रथम पक्षकार गोद लेने वाला, प्रतिवादी ललित गोद जानेवाला द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार गोद देनेवाले माता पिता श्री जितेन्द्र जणवा एवं श्रीमती सुशीला जणवा हैं, आधार कार्ड ललित का प्रदर्श ए–7, जन आधार कार्ड श्रीमती जालीबाई उर्फ जालकी बाई प्रदर्श ए–8 हैं एवं ललित कुमार जणवा का स्कुल प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–9 हैं तथा फुलचन्द की ईलाज के कागजात प्रदर्श ए–10 लगायत प्रदर्श A–42 हैं पावर ऑफ अटोर्नी अजतुर जालकी बाई बहक मोहनलाल प्रदर्श ए–43 हैं। यह कि स्व. फुलचनद जी के कुल प्रतिनिधि 06 हैं। श्रीमती जालकी बाई प्रतिवादी संख्या 1/1 (पत्नी) वादीगण संख्या 01 एवं 02 श्रीमती शंकरी बाई एवं श्रीमती अणछाई बाई (पुत्रियां), प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 श्रीमती शोभाबाई एवं श्रीमती कंचन बाई (पुत्रियां) एवं प्रतिवादी संख्या 07 श्री ललित (गोदपुत्र) हैं। यह सभी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्व. फुलचन्द जी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है जिससे फुलचन्द जी की स्वअर्जित आराजीयात के अलावा की आराजीयात में प्रत्येक का 1/6–1/6 हक, हिस्सा, अधिकार बनता है परन्तु वादीगण ने अपने पिता की मृत्यु उपरान्त अपनी मां के पास शोक के 12 दिनों में नहीं रूकी, मिली भी नहीं और ओपचारिकता के तहत अपने ससुराल के गांव की औरतें जो शोक प्रकट करने आई उनके साथ वह भी आई और चली गई तथा अपनी 82 वर्षीय वृद्ध माता की सेवा, चाकरी, कुशलक्षेम नहीं पुछी, सेवाचाकरी के कागजात प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश हुए जो प्रदर्श ए–10 से लगायत प्रदर्श ए–42 हैं। यहां यह भी विनम्र निवेदन है कि परिशिष्ट (ख) में वर्णित 16 बीघा 13 बिस्वा में जो 1/2 हिस्सा फुलचन्द जी के नाम दर्ज था उसे फुलचन्द जी ने उपरोक्त वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के नाम पूर्व विक्रय पत्र के क्रम में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दोराने कार्यवाही वाद किया जिस बाबत् वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह वादिया श्रीमती अणछाई एवं उसके गवाह श्री श्यामलाल एवं चुन्नीलाल को कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख [illegible] आया है, इस तरह वादी पक्ष एक दस्तावेज प्रदर्श ए–1 बाबत् दो मत व्यक्त [illegible] कर[illegible]ते कि जो स्व. फुलचन्द ने अपने जीवनकाल में जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 5 [illegible] के पक्ष में निष्पादित किया है वह तो सही है परिशिष्ट (घ) में वर्णित आराजी [illegible] दिनांक 02.05.2024 वादपत्र से हटादी हैं लेकिन दानपत्र प्रदर्श ए–4 जो प्रतिवादी शोभादेवी के पक्ष में किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

वो सही नहीं है इस तरह हॉट एण्ड कॉल्ड एक साथ ब्लो नहीं कर सकते और धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (पुराना)और नई धारा 121 में वादीगण अपने कथन से विबन्ध हैं वे और उसके गवाह पीडब्लु 2 एवं 3 अपने कथन से विमुख नहीं हो सकते।

18. यह कि धारा 15 हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 15 के हत वैध दत्तक को निरस्त नहीं किया जा सकता इसी अधिनियत की धारा 16 के तहत रजिटर्ड गोदनामे को " The Court Shall Presume That The Adoption Has Been Made" यह भी विनम्र निवेदन है कि प्रतिवादी कंचन के पक्ष में दानपत्र प्रदर्श ए–5 निष्पादित किया वो स्वअर्जित आराजीयात का नहीं था, लेकिन परिवार के मुखिया द्वारा किया गया। यह कि वादी पक्ष ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिये 3 गवाह PW–1 श्रीमती अणछाई बाई, PW–2 श्री श्यामलाल एवं PW–3 श्री चुन्नीलाल को पेश किये। श्री श्याम लाल प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती भुरी बाई का पति हैं यह दोनो हितबद्ध गवाह हैं क्योकि परिशिष्ट (ख) में वर्णित भूमि में से 1/6–1/6 हिस्सा इन गवाहान् के परिवारजनो के पक्ष में से 1/6–1/6 हिस्सा इन गवाहान के परिवारजनों के पक्ष में फुलचन्द जी ने विक्रय पत्र निष्पादित किया जिसकी सहमती वादिया स्वयं अणछाई ने भी अपने बयानो में दी हैं तथा इन गवाहों ने प्रतिवादी पक्ष के कथन को खण्डन करने की पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं की है जबकि प्रतिवादी पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में DW–1 श्रीमती शोभा बाई, DW– 2 श्री जितेन्द्र जणवा, DW–3 देवीलाल गर्ग, DW– 4 श्री जसप्रकाश नंगारची एवं DW–5 श्री मोहन जणवा को पेश किये जिन्होंने अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजात उपर वर्णितानुसार प्रदर्शित कराये। वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे हैं और प्रतिवादीगण 1/1, 2, 3 एवं 7 ने अपने पक्ष को साबित मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भलिभांति किया हे, प्रतिवादी संख्या 4 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी है, प्रतिवादी संख्या 5 एवं वादग्रस्त भूमि के परिशिष्ट ख में वर्णित हिस्से को क्रय प्रतिवादी संख्या 1 से किया जिसका समर्थन वादीपक्ष के तमाम गवाहन PW–1, PW–2, PW–3 करते है जिससे इनकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध हें औ दुरभिसंधि स्पष्ट है। इन तमाम परिस्थितियों में वाद वादीगण खारिज योग्य हैं एवं प्रतिवादीगण काउण्टर क्लेम डिक्री योग्य।

19. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस एवं तर्को पर मनन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

I. आया वादी वादपत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट क, ख, ग, घ, ड, च, में वर्णित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक के नाम पर 1/5–1/5 हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हैं।

उपरोक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पीडब्लयू 1 श्रीमती अणछाई बाई पिता श्री फुलचन्द जणवा, पीडब्ल्यू 2 श्री श्यामलाल पिता श्री भंवरलाल जणवा, पीडब्ल्यू 3 श्री चुन्नीलाल पिता भेरा जी जणवा का प्रस्तुत किया गया। वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2012 की नकल प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2012 की बंदोबस्ती नकल प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत् 2012 की बंदोबस्ती नकल प्रदर्श–3, प्रदर्श 4 से लगायत प्रदर्श 16 तक सेटलमेंट डिपार्टमेंन्ट की खसरा की नकले हैं। प्रदर्श 17 से लगायत 26 तक बन्दोबस्ती जमाबंदी संवत् 1984 की नकले है। नकल जमाबन्दी संवत् 2050 से 53 प्रदर्श 27 से लगायात प्रदर्श 32 तक हैं। वादीगण के कथनानुसार वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित पैतृक सम्पति है जो स्व. हिराजी की मृत्यु के बाद हम वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेख में फुलचन्द उर्फ फुलिया पिता हिरा के नाम अंकित हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दुरभी संधि कर वादीगण को अपने हिस्से में नहीं रखना चाह रहें है जिससे वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपने 1/5–1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 27, 28, 29, 30, 31, 32 से पाया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजीयात परिशिष्ट (क) का सम्पुर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 श्री फूलिया पिता हिरा जणवा के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट (ख) की आराजीयत में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 फूलिया पिता हिरा सा. देह के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट (ग) की आराजीयात में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट (घ) की आराजीयात में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट (ड) की आराजीयात में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट (च) की आराजी में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 पुत्री और पिता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 आपस में सगी बहने है। वादीगण द्वारा उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि बताया हैं जिसके आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। इसके संबध में जब हम शपथकर्ता डिडब्ल्यु 1 शोभाबाई के बयान को देखते है तो पाते हैं कि शोभा बाई द्वारा अपने बयान में स्पष्टतया कहा है कि " **हमारी बापोती की जमीन में सभी बहनो का बराबर का हक होना चाहिये। हमारी बापोती की जमीन में से मेरे पिता जी ने दुसरों के नाम पर जमीन कराई। हमारी बापोती की जमीन में से मेरे पिता जी ने कितनी जमीन किस–किस के नाम कराई है मेरे नाम पर 5 बिघा और मेरी बहन के नाम 5 बिघा का दान कराया। गांव खेरोदा में मेरे बापोती की जमीन करीब बीस बिघा है।** " **यघपि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 शोभाबाई ने अपने बयान में इस कथन को माना है कि वादग्रस्त भूमि उनकी बापोती की अर्थात पैतृक भूमि है साथ ही यह कथन भी कहा कि उक्त भूमि पर हम सभी बहनों को बराबर का अधिकार है तथा बयान में बताया कि राजीखुशी बापोती की जमीन चारों बहनों के हो जाये तो कोई आपत्ति नहीं है।** उक्त कथन से वादीगण के इस कथन को बल मिलता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। बयान गवाह डिडब्ल्यू 2 जितेन्द्र जणवा पिता किशनलाल जणवा द्वारा भी अपने बयान में इस कथन कहा कि **यह कहना सही है कि मेरी मां और उनकी बहनों के बीच में खेती की जमीन का विवाद चल रहा है जो इनके बाप –दादाओं की है साथ ही कथन कहा कि यह कहना गलत है कि हम शंकरीबाई व अणछाई बाई का हक खत्म करना चाहते हो बल्कि उनका जो हक है वो लेगी।** गवाह डिडब्ल्यू 2 का यह कथन भी वादीगण के इस कथन को बल देता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में वादग्रस्त आराजीयात को पैतृक भूमि नहीं माना हैं वादग्रस्त आराजी न. 283, 294, 302, 403 कुल क्षैत्र 08 बिघा 04 बिस्वा का 2/3 हिस्सा कर्ता फुलचन्द (प्रतिवादी संख्या 1) ने प्रतिवादी संख्या 3 (कंचन बाई) के पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर दिया तथा वाद पत्र की कलम न. 1 परिशिष्ट (ख) में वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर है उक्त में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 शोभाबाई के पक्ष में दान पत्र दिनांक 11.06.2012 द्वारा दानपत्र निष्पादित किया गया तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5, 6 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विकित किया गया जो दस्तावेज प्रदर्श A1A, प्रदर्श A2A, प्रदर्श A3A, प्रदर्श A4A, प्रदर्श A5A से स्पष्ट है। दस्तावेज प्रदर्श A1 व उसकी प्रति A1A के अध्ययन से पाया की आराजी न. 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202 रकबा 16 बिघा 13 बिस्वा का 1/2 हिस्सा स्व. फूलचन्द पिता हिरा जणवा (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा रजिस्टर्ड बक्षीस नामे से प्राप्त किया गया हैं जिससे उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 (स्व. फुलचन्द पिता हिरा जणवा) की स्वअर्जित सम्पति हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी ईच्छा अनुसार हस्तान्तरण का पुरा अधिकार है। दस्तावेज प्रदर्श A2A के अध्ययन से पाया की आराजी न. 1638 रकबा 1 बिघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1/1 ने रजिस्टर्ड विक्रय की है जो इस वाद में वादग्रस्त नहीं हैं। दस्तावेज प्रदर्श A3A से पाया कि मौजा खेरोदा की आराजी न. 238 रकबा 5 बिघा 14 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 (स्व. फुलचन्द पिता हिरा जणवा) द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई हैं। आराजी न. 238 को वाद पत्र से विड्रो किया जा चुका हैं। शेष आराजी स्वअर्जित सम्पति हैं इसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जबकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने बयानों में स्पष्टतया स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि उनकी बापोती की अर्थात पैतृक भूमि हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से परिशिष्ट (ख) की आराजी न. 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202 रकबा 16 बिघा 13 बिस्वा भूमि व परिशिष्ट (घ) की आराजी न. 238 रकबा 5 बिघा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 (स्व. फुलचन्द पिता हिरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

जणवा) की स्वअर्जित सम्पति हैं जिसे हस्तान्तरण का प्रतिवादी संख्या 1 का पुर्ण अधिकार हैं। शेष आराजी पैतृक सम्पति हैं जो प्रतिवादी संख्या 2, 3 के बयान से स्पष्ट हैं।

चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने बयानों में इस बात को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि उनके बापोती की अर्थात पैतृक भूमि है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया गया दान पत्र स्वतः शून्य प्रभावी है। इस संबंध में अधिवक्ता वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2014(2) RRT 965 Board Of Revenue For Rajasthan Ajmer, shyam vs jagwanti date 25-11-2013 का पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया कि "Hindu Succession Act, 1956-Sec. 6(As amended in 2005)- rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs, 88 And 188- RAA Set aside the judgment and decree and decreed the suit-land in share of 'BS' Was his ancestral land – 'BS' sold the land to 'S' by the regd. sale deed-After amendment in 2005 the respondents were also having share in the land-Regd. sale deed would remain ineffective to the extent of share of the respondents- held, RAA has rightly decree the suit." पेश किया गया जो हुबहु चस्पा होता है जिसमें पैतृक भूमि में किये गये हस्तान्तरण को रेस्पोडेन्ट के हिस्से तक अप्रभावी माना जिससे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किये गये दान–पत्र स्वतः शुन्य प्रभावी हैं। वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के पक्ष में निष्पादित किया गया जिस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः उक्त तनकी वादीगण अपने पक्ष मे साबिक करने में सफल रहें। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

II. आया प्रतिवादी संख्या 4 को चेतना पत्र नहीं देने से एवं धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से वाद चलने योग्य नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है। वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। वाद पेश करते समय वादीगण द्वारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है जिसे वादीगण द्वारा संज्ञान में आते ही पेश कर दिया गया है। चूकिं उक्त में राज्य सरकार से कोई रिलिफ चाही नहीं गई है। राज्य सरकार जरिये भूमिधारी, भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है तथा वाद आवश्यक प्रकृति का होने से पेश कर दिया है तथा संज्ञान में आते ही धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। अतः उक्त तनकी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

III. आया प्रतिवादी संख्या 7 की और से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की कलम न. 1 में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रतिवादी संख्या 7 अपने नाम पर कराने की एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर हैं। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब व काउन्टर वाद के समर्थन में साक्ष्यवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्रीमती शोभाबाई पिता स्व. श्री फुलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्री किशनलाल, डीडब्ल्यू 2 श्री जितेन्द्र जणवा पिता किशनलाल, डीडब्ल्यू 3 श्री देवीलाल पिता शंकरलाल गर्ग, डीडब्ल्यू 4 श्री जयप्रकाश नंगारसी पिता ओम प्रकाश जी नंगारसी, डीडब्ल्यू 5 श्री मोहनलाल पिता शंकरलाल जाति जणवा का प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज साक्ष्य में बक्षीसनामा प्रदर्श A1 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A1A है। विक्रय पत्र प्रदर्श A2 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A2A है। विक्रय पत्र प्रदर्श A3 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श A3A है। दानपत्र प्रदर्श A4 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A4A है। दानपत्र प्रदर्श A5 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A5A है। गोदनामा प्रदर्श A6 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A6A है। आधार कार्ड प्रदर्श A7 है जो ललित जणवा का है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A7A है। जन आधार कार्ड जालकी बाई का प्रदर्श A8 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श A8A है। स्कुल प्रमाण पत्र ललित जणवा का प्रदर्श A9 है। फुला जी जणवा के ईलाज के कागजात प्रदर्श A10 से प्रदर्श A42 व पावर ऑफ अर्टोनी प्रदर्श D43 प्रस्तुत किये है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कथन कहा कि वाद पत्र के लम्बित रहते प्रतिवादी संख्या 1 फुलचन्द जी की मृत्यु हो गई [illegible] के विधिक प्रतिनिधि वादीगण एवं प्रतिवादी 2, 3 के अलावा जो फुलचन्द [illegible] श्रीमती जालीबाई है उसको प्रतिवादी 1/1 के रूप में संयोजित किया गया तथा [illegible] (ख) में वर्णित भूमि किता 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

क्षेत्र. 16 बीघा 13 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जो फूलचन्द उर्फ फुलिया के नाम दर्ज था उसका 1/3–1/3 यानि कुलिया भूमि को 1/6–1/6 हिस्सा हो प्रतिवादी फुलचन्द ने अपने जीवनकाल में श्रीमती सोहनी बाई पत्नी भंवरलाल जणवा निवासी खेरोदा एवं श्रीमती भूरी बाई पत्नी श्री चुन्नीलाल जणवा निवासी खेरोदा को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर रख था लेकिन विक्रय पत्र का पंजीयन उस समय नहीं कराया जो वाद के दोरान कराया और इन क्रेतागणों को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के रूप में जोडा गया तथा इस परिशिष्ट (ख) की आराजीयात् में फुलचन्द के नाम शेष 1/6 हिस्सा रहा उसे जरिये दानपत्र श्रीमती शोभादेवी के पक्ष में दान दिया जो प्रदर्श ए–4 है, परिशिष्ट (ख) की आराजीयात प्रतिवादी फुलचन्द की स्वअर्जित भूमि हैं जिस बाबत् दस्तावेज प्रदर्श ए–1 हैं। वादपत्र की कलम न. 1 परिशिष्ट (घ) में वर्णित आराजी न. 238 क्षे. 5 बीघा 14 बिस्वा का आधा हिस्सा प्रतिवादी फुलचन्द ने जरिये विक्रय पत्र क्रय किया जो उनकी स्वअर्जित है उसके बाबत् दस्तावेज प्रदर्श ए–3 हैं यह भूमि भी फुलचन्द द्वारा शोभादेवी को दान में दी गई हैं। यह कि प्रतिवादी संख्या 7 का गोदपत्र प्रदर्श ए–6 है. इस गोदनाम में श्रीमती जालकी बाई प्रथम पक्षकार गोद लेने वाला, प्रतिवादी ललित गोद जानेवाला द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार गोद देनेवाले माता पिता श्री जितेन्द्र जणवा एवं श्रीमती सुशीला जणवा हैं, आधार कार्ड ललित का प्रदर्श ए–7, जन आधार कार्ड श्रीमती जालीबाई उर्फ जालकी बाई प्रदर्श ए–8 हैं एवं ललित कुमार जणवा का स्कुल प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–9 हैं तथा फुलचन्द की ईलाज के कागजात प्रदर्श ए–10 लगायत प्रदर्श I–42 हैं पावर ऑफ अटोर्नी अजतुर जालकी बाई बहक मोहनलाल प्रदर्श ए–43 हैं। यह कि स्व. फुलचन्द जी के कुल प्रतिनिधि 06 हैं। श्रीमती जालकी बाई प्रतिवादी संख्या 1/1 (पत्नी) वादीगण संख्या 01 एवं 02 श्रीमती शंकरी बाई एवं श्रीमती अणछाई बाई (पुत्रियां), प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 श्रीमती शोभाबाई एवं श्रीमती कंचन बाई (पुत्रियां) एवं प्रतिवादी संख्या 07 श्री ललित (गोदपुत्र) हैं। यह सभी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्व. फुलचन्द जी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है जिससे फुलचन्द जी की स्वअर्जित आराजीयात के अलावा की आराजीयात में प्रत्येक का 1/6–1/6 हक, हिस्सा, अधिकार बनता है।

उक्त तनकी द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 ने स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 फूलचन्द जी का गोद पुत्र बताया तथा दस्तावेज प्रदर्श A6 व उसकी प्रति प्रदर्श A6A प्रस्तुत की। उक्त दस्तावेज के अध्ययन से पाया कि उक्त गोदनामा दिनांक 18.07.2022 को दोराने वाद निष्पादित करवाया जो प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी जालीबाई (प्रतिवादी संख्या 1/1) द्वारा निष्पादित करवाया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा चाही गई है। उक्त गोदनामें से स्पष्ट है कि यह गोदनामा प्रतिवादी संख्या 1 फूलचन्द जी द्वारा निष्पादित नहीं करवाया गया है बल्कि उनकी पत्नी जालीबाई द्वारा निष्पादित करवाया गया है जिससे प्रतिवादी संख्या 7 के अधिकार प्रतिवादी संख्या 1/1 जालीबाई में ही निहित है। प्रतिवादी संख्या 7 के अधिकार प्रतिवादी संख्या 1/1 के हद तक ही सीमित है। इस संबंध में बयान गवाह डीडब्ल्यू–2 जितेन्द्र पिता किशनलाल जणवा को देखते है तो पाते है डीडब्ल्यू –2 द्वारा स्वयं अपने बयान में कहा है कि **यह सही है कि मेरे नाना के जीवनकाल में उन्होंने मेरे पुत्र ललित को गोद नहीं लिया। यह कहना सही है कि मेरे नाना के जीवनकाल में गोद की कोई रस्म नही हुई।** उक्त बयान से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 फूलचन्द जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 को गोद नहीं लिया जब प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 को गोद लिया ही नही तो प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1 से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रतिवादी संख्या 7 के गोदपुत्र के तहत सारे अधिकार प्रतिवादी संख्या 1/1 जालीबाई में निहित है। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को स्वअर्जित सम्पति बताया। उक्त के संबंध में तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किये गये दान [illegible] हैं। [illegible] को साबित करने में प्रतिवाद संख्या 7 असफल रहे। अतः उक्त प्रतिवा[illegible] के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तनकी[illegible] के आधार [illegible] यह पाया कि वादीगण श्रीमती शंकरीबाई एवं श्रीमती अणछाबा[illegible] श्रीमती शोभा बाई, श्रीमती कंचनबाई एवं राजस्थान [illegible] 88, 188, 92 (ए) राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया गया कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा मे स्थित वादपत्र के पेरा 1 परिशिष्ट (क) की खसरा न. 283, 294, 302, 403, 922, 926, 1163, 1193, 1194, 1198 कुल किता 10 कुल क्षैत्र 11 बीघा 12 बिस्वा जो प्रतिवादी श्री फूलचन्द के नाम पर दर्ज है।। परिशिष्ट (ख) आराजी न. 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202, कित्ता 6 क्षै. 16 बीघा 13 बिस्वा जिसका 1/2 हिस्सा फूलचन्द के नाम दर्ज है। परिशिष्ट (ग) की आराजी न. 1168 क्षै. 17 बिस्वा का 1/3 हिस्सा जो फूलचन्द के नाम पर दर्ज है। परिशिष्ट (घ) आराजी न. 238 क्षै. 5 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी फूलचन्द के नाम दर्ज है। परिशिष्ट (ड) आराजी न. 307 क्षै. 2 बीघा 4 बिस्वा जिसका 1/9 हिस्सा प्रतिवादी फूलचन्द के नाम दर्ज है एवं परिशिष्ट (च) की आराजी 286, 920, 921, 1197, केता 4 क्षै. 6 बिघा 14 बिस्वा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी फूलचन्द उर्फ फूलिया के नाम पर दर्ज है। यह सब आराजीयात एवं हिस्सा वाद मे वादग्रस्त है। वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात अविभाजित पैतृक संपति बताई तथा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से काबिज होना बताया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 पुत्री तथा पिता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आपस में सगी बहने है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही। दोराने वाद वादीगण द्वारा परिशिष्ट(घ) की वादग्रस्त आराजी को विक्रो किया जा चुका है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उक्त भूमि को पैतृक संपति होने के कथन से इन्कार कर मिथ्या बताया तथा बताया कि दिनांक 11.06.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दानपत्र निष्पादित करवा दिया। तनकी संख्या 1 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे जिससे वादग्रस्त भूमि बापोती की अर्थात्त पैतृक भूमि है जिससे दानपत्र दिनांक 11.06.2012 जो प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित किये गये है स्वत. शून्य प्रभावी है। दोराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में निष्पादित करवाया जिससे प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 5 व 6 पक्षकार बने। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई जो बयान गवाह पीडब्ल्यू–1 शंकरीबाई द्वारा अपने बयान में स्पष्ट किया है कि "यह कहना सही है कि दावा करने के बाद मेरी काकी भूरीबाई व सोहनीबाई के मेरे पिता फूलचन्द जी ने रजिस्टी करवाई क्योंकि कब्जा तो भंवरलाल जी व चुन्नीलाल जी का पहले से था उनको खाते करवाने के लिए कराई।" साथ ही परिशिष्ट (ख) की आराजी न. प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है जिसे हस्तान्तरण का प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्ण अधिकार हैं। दोराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 फौत होने से उनके विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व उनकी पत्नी जालीबाई है जिससे जालीबाई को प्रतिवादी संख्या 1/1 के रूप में पक्षकार बनाया गया। दौराने वाद दिनांक 18.07.2022 को जालीबाई द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 को गोद लेकर गोदनामा निष्पादित करवाया जिससे प्रतिवादी संख्या 7 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपना जवाब व जरिये गोदनामे अपना काउन्टर वाद पेश कर गोदनामे के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही। तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 7 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहें जिससे तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्व निर्णित की गई। चुंकि तनकी संख्या 1 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे तथा तनकी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे । अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 7 का काउन्टर वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया [illegible] मौजा [illegible] हल्का खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर [illegible] माबंदी सम्वत् 2050–53 की खाता संख्या 320 आराजी नम्बर 283, 294, 302, 403, [illegible], 926, 1163, 1193, 1194, 1198 किता 10 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा संपूर्ण भूमि [illegible]वादी संख्या 1 श्री फूलचन्द उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

फूलिया पिता हिरा जणवा के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 श्रीमती अणछाई बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/1 मु. जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी तरह खाता संख्या 334 की आराजी संख्या 1168 रकबा 17 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पिता हिरा जणवा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 श्रीमती अणछाई बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/1 मु. जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी तरह खाता संख्या 323 की आराजी संख्या 307 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पिता हिरा जणवा के नाम दर्ज 1/9 हिस्से के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 श्रीमती अणछाई बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/1 मु. जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी तरह खाता संख्या 322 की आराजी संख्या 286, 920, 921, 1197 किता 4 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पिता हिरा जणवा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 श्रीमती अणछाई बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/1 मु. जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। आराजी न. 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202 किता 6 रकबा 16 बिघा 13 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 (श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पिता हिरा जणवा) द्वारा प्रतिवादी संख्या 5, 6 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित दान पत्र प्रभावी रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 व 5, 6 उक्त आराजी न. 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202 किता 6 रकबा 16 बिघा 13 बिस्वा भूमि में अपने पक्ष में किये गये हस्तान्तरण के नामान्तरण की कार्यवाही करवाने हेतु स्वतंत्र हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 401/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/307

अनवान

1. श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचनद उर्फ फुलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा निवासी खेरोदा हाल निवासी सालेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती अणछाईबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा हाल निवासी ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री फूलचनद उर्फ फुलिया के बजाय–

1/1 मु.जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचनद उर्फ फुलिया जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2. श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती कंचनबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फुलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा हाल निवासी नवाणियाँ तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी/उपपंजीयक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीमती सोहनीबाई पत्नि श्री भंवरलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्रीमती भूरीबाई पत्नि श्री चुन्नीलाल जाति जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री ललीत पुत्र स्व. श्री फूलचन्द जाति जणवा नाबालिग सरक्षक माता श्रीमती जालकी बाई पत्नि स्व. श्री फुलचनद जणवा निवसी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1.

1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री कैलाश चन्द्र खारिवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 401/21 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 7 का काउन्टर वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में जमाबंदी सम्वत् 2050–53 की खाता संख्या 320 आराजी नम्बर 283, 294, 302, 403, 922, 926, [illegible] रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्री फूलचन्द [illegible] पिता हिरा जणवा के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती शंकरीबाई [illegible] जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, वादी [illegible]मती अण[illegible] पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति ज[illegible] संख्या 1/1 मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested

जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी तरह खाता संख्या 334 की आराजी संख्या 1168 रकबा 17 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पिता हिरा जणवा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 श्रीमती अणछाई बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/1 मु. जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी तरह खाता संख्या 323 की आराजी संख्या 307 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पिता हिरा जणवा के नाम दर्ज 1/9 हिस्से के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 श्रीमती अणछाई बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/1 मु. जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी तरह खाता संख्या 322 की आराजी संख्या 286, 920, 921, 1197 किता 4 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पिता हिरा जणवा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के बजाय वादी संख्या 1 श्रीमती शंकरीबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्रीपाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 श्रीमती अणछाई बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री बंशीलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/1 मु. जालीबाई पत्नि स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती शोभाबाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री किशनलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व. श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पत्नि श्री शंकरलाल जाति जणवा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। आराजी न. 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202 किता 6 रकबा 16 बिघा 13 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 (श्री फूलचन्द उर्फ फूलिया पिता हिरा जणवा) द्वारा प्रतिवादी संख्या 5, 6 के पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्र व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित दान पत्र प्रभावी रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 व 5, 6 उक्त आराजी न. 279, 287, 1195, 1196, 1201, 1202 किता 6 रकबा 16 बिघा 13 बिस्वा भूमि में अपने पक्ष में किये गये हस्तान्तरण के नामान्तरण की कार्यवाही करवाने हेतु स्वतंत्र हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.03.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:25 IST
Reason: SelfAttested